महत्वपूर्ण एवं खास

युवक से नकदी सहित मोबाइल की लूट

रायपुर (आरएनएस)। बस का टिकट दिलाने का झांसा देकर मोबाइल व नकदी 3 हजार रुपए लूटने का मामला प्रकाश में आया है। प्रार्थी की शिकायत पर टिकरापारा पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी रणवीर सिंह 34 वर्ष ग्राम तमरेर का रहने वाला है। बताया जाता है कि आरोपी अकबर खान व साहिल खान प्रार्थी के पास आया और बस का टिकट दिलाने का झांसा देकर बस स्टेण्ड के पीछे तालाब पार में ले गया और मोबाइल व नकदी 3 हजार रुपए लूट लिए। प्रार्थी की शिकायत पर टिकरापारा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

दुकान से लाखों रुपए के सामान पार

रायपुर (आरएनएस)। ग्राम टेकारी के बाजार चौक स्थित दुकान से अज्ञात चोर ने लाखों रुपए का सामान पार कर दिया। प्रार्थी की शिकायत पर विधानसभा पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी यश्वनी कुमार तिवारी 35 वर्ष मांढर का रहने वाला है। प्रार्थी ग्राम टेकारी के बाजार चौक में दुकान चलाता है। बताया जाता है कि बीती रात अज्ञात तचोर ने प्रार्थी के दुकान में छत के रास्ते से अंदर प्रवेश किया और कांच के दरवाजे को तोडक़र दुकान में रखे सिगरेट, पान मसाला, 20 बंडल साड़ी, 20 बंडल जींस पैंट व 10 बंडल टॉप पार कर दिया। चोरी गए जुमला कीमती करीब 1 लाख 75 हजार रुपए के आसपास बताई जा रही है। प्रार्थी की शिकायत पर विधानसभा पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

मंदिर के सामने खड़ी बाइक पार

रायपुर (आरएनएस)। हरदेव लाला मंदिर के सामने खड़ी बाइक को अज्ञात चोर ने पार कर दी। प्रार्थी की शिकायत पर टिकरापारा पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी हेमंत कुमार साहू 25 वर्ष ग्राम बोडग़ा का रहने वाला है। प्रार्थी ने थाना में शिकायत किया कि वह अपनी बाइक क्रमांक सीजी 05 एसी 7998 को हरदेव लाला मंदिर के पास खड़ी किया था, तभी अज्ञात चोर ने पार कर दिया। चोरी गए बाइक की कीमत करीब 15 हजार रुपए के आसपास बताई जा रही है। प्रार्थी की शिकायत पर टिकरापारा पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

अवैध डीजल के साथ युवक पकड़ाया

रायपुर (आरएनएस)। मंदिरहसौद पुलिस ने टिल्लू नगर के पास अवैध डीजल के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 40 लीटर डीजल जब्त किया है। मिली जानकारी के अनुसार मंदिरहसौद पुलिस ने टिल्लू नगर के पास दबिश देकर आरोपी मनराज सिंह 25 वर्ष को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 1 जरीकेन में मौजूद 40 लीटर डीजल जब्त किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की है।

सरेआम शराब पीते 7 पकड़ाए

रायपुर (आरएनएस)। राजधानी पुलिस ने अलग-अलग थाना क्षेत्रों में सरेआम शराब पीते 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की है। मिली जानकारी के अनुसार खमतराई पुलिस ने ट्रांसपोर्ट नगर रावाभाठा में सरेआम शराब पीते आरोपी संजय साहू 39 वर्ष व रामजी वर्मा 39 वर्ष को गिरफ्तार किया है। वहीं गुढिय़ारी पुलिस ने आरोपी घनश्याम साहहू 34 वर्ष, प्रमोद सेन 30 वर्ष व योगेन्द्र साहू 31 वर्ष को गिरफ्तार किया है। इसी तरह खम्हारडीह पुलिस ने आरोपी चंद्रकांत बेनिया 29 वर्ष व तेलीबांधा पुलिस ने आरोपी संजय कुमार साहू 26 वर्ष को गिरफ्तार किया है।

शासकीय नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी

जशपुर-रायपुर । आरएनएस

विवरण इस प्रकार है कि प्रकरण सदर की प्रार्थिया उम्र 33 वर्ष निवासी मनोरा चौकी क्षेत्रांतर्गत की रहने वाली है एवं वर्तमान में तपकरा बाधरकोना जशपुर में किराये के मकान में रहती है। प्रार्थिया अपने भाई का नौकरी लगवाने के लिये अपनी रिश्ते की बहन से पूर्व में बात की थी, तब उसकी बहन बोली कि मेरे पति का दोस्त धरती पुत्र जो कोमड़ो का रहने वाला है, वह रायपुर में किसी बड़े व्यक्ति के पीए का गाड़ी चलता है उसका मंत्रीयों से जान पहचान है पैसा देंगें तो नौकरी लगवा देगा बताई थी। तब प्रार्थिया वर्ष 2022 में धरती पुत्र से अपनी बहन के माध्यम से मिली थी उसे अपने भाई का नौकरी लगवाने का बात की थी तो वह बोला कि जितेन्द्र साहू जो महासमुंद्र बसना का रहने वाला है उसका रायपुर मंत्रालय में मंत्रीयों से जान पहचान है लेकिन पैसा लगेगा कहकर आश्वासन दिया था। तब प्रार्थिया उसके बातों में आकर धरती पुत्र के कहे अनुसार उसके परिचित के बैंक खाता में दिनांक 04.07.2022 को 01 लाख रू. दिनांक 05.7.2022 को 01 लाख रू. दिनांक 16.09.22 को 01 लाख 20 हजार रू. जमा की थी। बाद में धरती पुत्र ने ने अपने साथी जितेन्द्र साहू का मोबाइल नम्बर देकर उससे बात कर लो बोला तो प्रार्थिया ने जितेन्द्र साहू से फोन में बात कर बोली कि धरती पुत्र के कहे अनुसार अनुसार उसके परिचित के खाता में 03 लाख 20 हजार रूपये जमा की हैए तब जितेन्द्र साहू बोला कि तुम्हारा भाई का नौकरी लगवा देंगे तुम चिंता मत करोए बाकी अब मेरे खाता में पैसा जमा कर देना कहकर अपने खाता में प्रार्थिया से दिनांक 07.02.23 को 20 हजार रू. दिनांक 08.02.2023 को 30 हजार और दिनांक 09.02.2023 को 40 हजार एवं दिनांक 16.02.2023 को 70 हजार रूपये कुल 01 लाख 60 हजार रूपये जमा की है, लेकिन प्रार्थिया के भाई का इन लोगों ने नौकरी नहीं लगवाये। इसके बाद प्रार्थिया ने जितेन्द्र साहू के मोबाइल नंबर का पता कर उसे फोन कर अपना पैसा मांगी तो दूंगा बोलकर टाल. मटोल कर रहा है, उसके दोस्त धरती पुत्र से पैसा मांगने पर मैं सारा पैसा जितेन्द्र साहू को दे दिया हूं वो वापस करेगा तो दे दूंगा कहकर टाल.मटोल कर रहा हैं। दिनांक 22.12.2023 को अपना पैसा को वापस मांगने प्रार्थिया धरती पुत्र के घर कोमड़ो में गई तो वह उससे मिलीए तब प्रार्थिया अपना दिया हुआ पैसा को उससे मांगी तो पैसा को वापस करने के लिये समय मांग रहा था तब प्रार्थिया नही मान रही थी तो धरती पुत्र कोर्ट ने कोर्ट में आकर पचास रूपये के स्टांप पेपर पर नौकरी लगवाने के नाम पर कुल चार लाख आस्सी हजार रूपये प्रार्थिया से लिया गया है किन्तु नौकरी नहीं लगने के कारण वापस करने का वादा किया गया था किन्तु अभी तब एक भी पैसा वापस नही किया गया है जिसे मैं 04 माह के अन्दर वापस करूंगा यदि वापस नही कर पाया तो प्रार्थिया मेरे विरूद्ध कानुनी कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगी का इकारारनामा स्टाप पेपर में उस व्यक्ति ने लेख कर नोटरी कराकर प्रार्थिया को दिनांक 22.12.2023 को स्टाप पेपर में दिया है। किन्तु उक्त इकरारनामा के अनुसार आज तक धरती पुत्र ने प्रार्थिया को कोई पैसा नहीं दिया है उक्त तीनों व्यक्ति नौकरी लगाने के नाम पर 04 लाख 80 हजार रूपये लेकर धोखाधड़ी कर ठगी किये हैं। इसी प्रकार से प्रार्थिया की सहेली से भी उसके बहन का नौकरी लगाने के नाम पर 05 लाख 20 हजार रूपये का ठगी किये है, और 05 लाख 20 हजार रूपये का जितेन्द्र साहू के द्वारा फर्जी चेक भी दिया था। ठगी करने वाले धरती पुत्र जितेन्द्र साहू एवं अन्य 01 है। प्रार्थिया के लिखित रिपोर्ट पर सिटी कोतवाली जशपुर में अपराध क्रमांक 193/24 धारा 420, 120बी भा.द.वि. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह द्वारा उक्त ठगी के आरोपियों की पतासाजी कर अविलंब गिरफ्तारी के निर्देश दिये थे, विवेचना दौरान मुखबीर से सूचना मिली कि उक्त प्रकरण का आरोपी जितेन्द्र साहू वर्तमान में बसना में निवास कर रहा हैए इस पर तत्काल थाना जशपुर से उप निरीक्षक सरिता तिवारी के नेतृत्व में टीम गठित कर बसना रवाना किया गयाए टीम द्वारा दबिश देकर जितेन्द्र साहू को अभिरक्षा में लेकर थाना लाया गयाए पूछताछ में आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर प्रार्थिया एवं अन्य लोगों का नौकरी लगवाने के नाम से पैसा लेना स्वीकार किया है। आरोपी जितेन्द्र साहू उम्र 33 साल निवासी आदर्शनगर बसना जिला महासमुंद को दिनांक 08.08.2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया एवं प्रकरण के मुख्य आरोपी धरती पुत्र उम्र 37 साल निवासी कोमड़ो को दिनांक 10.08.2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। आरोपीगणों की गिरफ्तारी में थाना जशपुर से उनि. सरिता तिवारी, सउनिण् मनोज सिंह, सउनि दिलबंधन भगत आरक्षक शोभनाथ सिंहए चालक रवि सिंह आदि का सराहनीय योगदान रहा है।

शासन की सभी योजनाएं धरातल पर दें दिखाई - उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा

रायपुर । आरएनएस

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में आज ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, निमोरा, रायपुर में छत्तीसगढ़ के सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ), जिला पंचायत की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत चल रहे कार्यों की जिलेवार गहन समीक्षा की गई। उपमुख्यमंत्री शर्मा ने सभी सीईओ से कहा कि शासन की सभी योजनाएं धरातल पर दिखाई दें और निचले स्तर तक पहुंचे यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि कोई भी पात्र हितग्राही योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। उपमुख्यमंत्री शर्मा ने प्रत्येक जिले के स्वीकृत, पूर्ण और अपूर्ण आवासों की स्थिति की जानकारी ली और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कार्ययोजना बनाकर इन्हें समय-सीमा के भीतर पूर्ण किया जाए। उपमुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि भविष्य में बड़ी संख्या में आवासों की स्वीकृति की संभावना है, इसके लिए पहले से तैयारी रखें। जहां आवास स्वीकृत हो रहे हैं, वहां मेंशन, मटेरियल सप्लायर, बैंक की उपलब्धता, सीएचसी और बैंक सखी की उपलब्धता की जानकारी पहले से सुनिश्चित करें। जहां ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, वहां कार्ययोजना बनाकर काम शुरू करें। उपमुख्यमंत्री शर्मा ने पीएम जनमन योजना के तहत आदिवासी बहुल क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं सहित सभी प्रमुख योजनाओं का लाभ जनजातीय परिवारों तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए राशि की कोई कमी नहीं होगी, और सभी ग्राम पंचायतों में आवास स्वीकृत किए जा रहे हैं। इन आवासों को तेजी से पूर्ण करने के लिए कार्ययोजना बनाएं। बैठक में प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह, सचिव राजेश सिंह राणा, संयुक्त सचिव तारन प्रकाश सिन्हा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के संचालक रजत बंसल, पंचायत निदेशक प्रियंका ऋषि महोबिया, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और राज्य स्वच्छ भारत मिशन की मिशन संचालक जयश्री जैन, तथा सभी जिलों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत चल रहे कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने मानव दिवस सृजन की उपलब्धि और लक्ष्य के विरुद्ध प्राप्त प्रगति की जानकारी ली। सिक्योर के तहत वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में स्वीकृत कार्यों और 266 अनुमेय कार्यों की समीक्षा की गई। उपमुख्यमंत्री ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में प्रत्येक अमृत सरोवर स्थलों पर विशेष उत्सव आयोजित करने की तैयारी की जानकारी ली और सभी जिलों में इस कार्यक्रम को सफल बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने एरिया ऑफिसर्स मॉनिटरिंग विजिट ऐप के माध्यम से निरीक्षण को शत-प्रतिशत पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। समीक्षा के दौरान सामाजिक अंकेक्षण की प्रगति, निपटाए गए प्रकरणों एवं राशि वसूली, लोकपाल कार्यालय में दर्ज प्रकरणों पर पारित निर्णय और कार्रवाई रिपोर्ट की समीक्षा भी की गई। साथ ही समयबद्ध मजदूरी भुगतान और आधार आधारित

भाकपा ने वार्ड नंबर 17 में सड़क, नाली, लाइट की समस्या पर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

कोरबा । आरएनएस

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव कॉ. पवन कुमार वर्मा ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर वार्ड क्रमांक-17 न्यू मानस नगर में व्याप्त समस्याओं के निराकरण को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में मुख्य रूप से इस क्षेत्र में रोड, नाली और स्ट्रीट लाइट की समुचित व्यवस्था नहीं होने और इससे क्षेत्रवासियों को होने वाली परेशानी का जिक्र किया गया है।

कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि घरों से पानी निकासी के लिए नाली की व्यवस्था नहीं होने से क्षेत्र में मच्छरों की समस्या के साथ बीमारियों का डर हमेशा बना रहता है। सही सडक़ और स्ट्रीट लाइट नहीं होने के कारण भी क्षेत्र में कीड़े, मकोड़े, सांप, बिच्छू आदि जहरीले जीव जंतु द्वारा काटे जाने का खतरा भी बना रहता है।

ज्ञापन सौंपने गये भाकपा कार्यकर्ताओं में मुख्य रूप से जिला सचिव पवन कुमार वर्मा, ब्रांच सचिव कामरेड विजय लक्ष्मी चौहान, राखी महंत, अनीता बरेठ, सुमिता पटेल, गीता कर्ष, श्रीबाई वस्त्रकार, सुधा महंत, गोविंद ब्रेड, संतोष साहू, देव कर्ष, मोतीलाल बरेठ आदि शामिल थे।

एनटीपीसी कोरबा टाउनशिप में प्रगति के साक्षी सेल्फी पॉइंट का किया उद्घाटन

कोरबा । आरएनएस

प्रदीप्त कुमार मिश्रा, क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक पश्चिम क्षेत्र- स्स्ष्ट और अश , ने 3 अगस्त 2024 को एनटीपीसी कोरबा में प्रगति के साक्षी सेल्फी पॉइंट का उद्घाटन किया। यह नया जोड़ कोरबा की 1983 में स्थापना के बाद की अद्भुत वृद्धि और उपलब्धियों का उत्सव है। प्रदीप्त कुमार मिश्रा ने इस सेल्फी पॉइंट का उद्घाटन क्चा। कोरबा राजीव खन्ना, सभी त्ररूह्य और एनटीपीसी कोरबा के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किया। प्रगति के साक्षी सेल्फी पॉइंट प्लांट के दशकों की यात्रा और विकास का दृश्य प्रमाण है। इसमें एनटीपीसी कोरबा की उपलब्धियों और प्रगति को दर्शाने वाले विभिन्न डिस्प्ले और इंस्टॉलेशंस शामिल हैं, जो आगंतुकों और कर्मचारियों को प्लांट के इतिहास के साथ जुडऩे का एक अनूठा अवसर प्रदान करते हैं। सेल्फी पॉइंट के साथ-साथ एक नई और रोमांचक पहल भी शुरू की गई है: कोरबा टाउनशिप में सात पेड़ों को प्लांट की प्रत्येक यूनिट के सम्मान में नामित किया गया है। यह पहल न केवल पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति प्लांट की निरंतर प्रतिबद्धता का प्रतीक है बल्कि स्थानीय समुदाय के साथ इसके संबंध को भी मजबूत करती है। प्रदीप्त कुमार मिश्रा द्वारा प्रगति के साक्षी सेल्फी पॉइंट और पेड़-नामकरण समारोह का उद्घाटन एनटीपीसी कोरबा की विरासत का सम्मान करने और इसके हितधारकों के बीच गर्व और पर्यावरणीय देखभाल की भावना को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

जंगल में बना रही थी महुआ शराब, पुलिस ने किया गिरफ्तार

बलौदाबाजार-रायपुर । आरएनएस

भाटापारा पुलिस द्वारा अवैध महुआ शराब बनाने वाले अड्डे पत्थरी सबरिया डेरा टुण्डरा में मारा गया छापा मुखबिर से सूचना मिली कि टुण्डरा पत्थरी सबरिया डेरा में आसपास के क्षेत्र में सप्लाई करने के लिए एक शराब कोचिया द्वारा भारी मात्रा में अवैध महुआ शराब बनाकर डम्प किया गया है। इसके साथ ही अवैध महुआ शराब बनाने के लिए महुआ पास (लहान) भी भारी मात्रा में रखा गया है, जिसका उपयोग आगे चलकर महुआ शराब बनाने में किया जाएगा। कि सूचना पर निरीक्षक के.सी.दास, प्रधान आरक्षक पीलाराम, नरेश खूंटे, आरक्षक सुजीत तंबोली, रामलाल, मिलन साहू, विजय मिलन एवं महिला आरक्षक उर्मिला एक्का की पुलिस टीम द्वारा सुनियोजित योजना बनाकर पत्थरी सबरिया डेरा में छापा मारा* गया। इस दौरान मौके पर अवैध महुआ शराब के सांथ *आरोपी फूलबाई उर्फ करेहीन उम्र 46 साल निवासी पत्थरी सबरिया डेरा टुण्डरा थाना गिधौरी को पकडा* गया है। आरोपिया से 21,000 कीमत मूल्य का 105 लीटर महुआ शराब जप्त किया गया है। तत्पश्चात पुलिस टीम द्वारा भारी मात्रा में महुआ शराब पकड़े जाने के डर तथा उसे छुपा कर कहीं रखे होने के अंदेशा पर संपूर्ण स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया, *जिसमें महुआ शराब बनाने

में इस्तेमाल लगभग ?1,05,000 कीमत मूल्य का 15 क्विंटल महुआ पास (लहान) भी बरामद* किया गया, जिसे पुलिस टीम द्वारा मौके पर ही नष्ट किया गया है। कि प्रकरण में पकडे गए आरोपी फूलबाई के विरुद्ध थाना गिधौरी में अपराध क्र. 160/2024 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर, आरोपिया को विधिवत गिरफ्तार कर, माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए, जेल भेजने की प्रक्रिया की जा रही है।

डोंगरगांव पुलिस ने 6 नग मोबाईल चोरी करने वाले तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार

डोंगरगांव/राजनांदगांव (आरएनएस)। आरोपियों के द्वारा जुर्म कबुल कर मोबाईल 06 नग कीमती – 33,000/- एवं घटना मे प्रयुक्त मोटर सायकल क्र0 ष्टत्र08रूङ्घ7527 कीमती 30,000/-रूपये कुल जुमला कीमती रकम 63,000/- रूपये को किया जप्त थाना डोंगरगांव – दिनांक 11.08.2024 को पुलिस अधीक्षक राजनादगांव मोहित गर्ग के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा तथा पुलिस अनु0 अधि0 डोंगरगांव, दिलीप सिंह सिसोदिया राजनादगांव के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी डोंगरगांव ,निरीक्षक उपेन्द्र कुमार शाह के नेतृत्व थाना क्षेत्र के अंतर्गत अवैध शराब बिक्री, चोरी एंव अन्य संदिग्ध गतिविधियो पर पैनी नजर रखी जा रही है इसी दरमियान दिनांक 27.05.2024 को उमरवाही से शरीफ खान ने अपने मोबाईल दुकान उमरवाही से मोबाईल चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमे थाना प्रभारी उपेन्द्र कुमार के द्वारा गंभीरता से लेते हुये अज्ञात आरोपी की सुराग खोजते हुये पता साजी मे लग गया एवं थाना डोंगरगांव मे गठित पुलिस टीम की स्वयं नेतृत्व करते हुये विवेचना के दौरान मुखबीर सुचना मिला कि ग्राम चिलमगोटा के कुछ लडक़े चिलमगोटा व रेंगाडबरी मे मोबाईल बेचने के लिये ग्राहक तलाश रहे है कि सुचना पर मौके पर पहूंच कर सुचना की तस्दीक किया 03 लडक़े मौके पर ग्राहक तलाशते हुये मिला , जिसे पकड़ कर मोबाईल के संबंध मे पुछताछ किया ,जिन्होने ग्राम उमरवाही बस स्टैण्ड के पास लगे भारतीय मोबाईल दुकान मे लगे सीट को हथौड़ी से तोडक़र अंदर प्रवेश कर दुकान के रेक मे रखे मोबाईल 07 नग को चोरी करना एवं आपस मे दो-दो मोबाईल को तीनो लोगों मे बटवारा करना एवं एक मोबाईल जो खराब था को उमरवाही मे घटना स्थल के पास तालाब के गहरे पानी मे फेंक देना बताये एवं घटना कारित करना स्वीकार किया , तब आरोपिगणों का पृथक – पृथक मेमोरण्डम कथन लिया गया जिसका फोटोग्राफी एवं विडियोंग्राफी कराया गया है । एवं आरोपिगणों के द्वारा चोरी के मोबाईल को पेश करने पर मोबाईल 06 नग कीमती – 33,000/- एवं घटना मे प्रयुक्त मोटर सायकल क्र0 ष्टत्र08रूङ्घ7527 कीमती 30,000/-रूपये कुल जुमला कीमती रकम 63,000/- रूपये को जप्त कर समक्ष गवाहान के मुता0 जप्ती पत्रक के जप्त किया , गया । आरोपिगणों 1. टेमन लाल साहू पिता रामखिलावन साहू, ,उम्र- 19 साल, 2. थनवार साहू पिता सुपालसिंह साहू, उम्र- 25 साल, 3. महेश्वर ऊर्फ मानस पिता राम कुमार , उम्र- 19 साल, सभी साकिनाना - ग्राम चिलमगोटा , थाना मंगचुवा , जिला बालोद ,छ0ग0 को दिनांक 10.08.2024 को गिरफ्तार किया गया है ।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गर्वनिंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवे पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।

पढिए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

घर घुसकर लूटपाट करने वाले आरोपी हुए गिरफ्तार

बिलासपुर-रायपुर । आरएनएस

विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 09.08.2024 को प्रार्थिया शालिनी देवांगन पति सुभम देवांगन निवासी भूमि विहार ग्राम बिजौर की रिपोर्ट दर्ज करायी कि तीन अज्ञात व्यक्ति दोपहर करीब 2 बजे उनके भूमि विहार स्थित घर में घूसकर उनको पिस्तौल अड़ाकर उनसे 2 मंगल सूत्र एवं अंगूठी करीब 18 ग्राम किमती 70000/- रू. लूट कर मौके से फरार हो गये हैं। घटना की गंभीरता को देखते हुये घटना के संबंध मे तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर रजनेश सिंह (भापुसे) को अवगत कराया गया, जो स्वयं तत्काल थाना सरकण्डा पुलिस की टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर घटना स्थल निरीक्षण कर क्षेत्र के सीसीटीव्ही फूटेज खंगालने व गुण्डा व निगरानी बदमाशों को तस्दीक करने निर्देशित किये। पुलिस अधीक्षक महोदय से आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त कर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया एवं अति. पुलिस अधीक्षक महोदय शहर उमेश कश्यप व सीएसपी सरकण्डा सिद्धार्थ बघेल के मार्ग दर्शन में थाना प्रभारी निरी. तोपसिंह नवरंग के नेतृत्व में सरकण्डा पुलिस के द्वारा अलग-अलग टीम बनाकर अज्ञात आरोपियों के भागने के संभावित रूट पर लगभग 100 सीसीटीव्ही कैमरों का निरीक्षण किया गया। एवं क्षेत्र के गुण्डा व निगरानी बदमाशों को तस्दीक करने पर सरकण्डा पुलिस टीम को दिनांक 10.08.2024 को घटना के संबंध में आवश्यक व अहम सुराग मिला। जिसके आधार पर संदेही आदतन बदमाश बाबू ईरानी एवं उसके साथी सुभाष निषाद व शिवराम यादव को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर अपराध कारित करना स्वीकार किये एवं लूटी गई माल मशरूका को आपस में बांट लेना बताये। जिनके मेमोरण्डम के आधार पर लूट हुआ शत प्रतिशत माल मशरूका 2 सोने का लॉकेट 10 नग सोने का गेहूं दाना एवं 8 नग सोने का मोतीदाना एवं 1 नग अंगूठी पृथक-पृथक बरामद किया गया तथा आरोपियों द्वारा घटना कारित करने में प्रयुक्त मोटर सायकल एवं प्लास्टिक का नकली पिस्टल बरामद कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस अधीक्षक बिलासपुर द्वारा सरकण्डा पुलिस टीम की उक्त सफलता व व्यवसायिक दक्षता पर सराहना की गई है। उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही में निरी. तोप सिंह नवरंग, उप निरी. कृष्णा साहू, सउनि देवेन्द्र तिवारी, सउनि दिनेश तिवारी, प्र.आर. प्रमोद सिंह, आर. राकेश यादव, आर. विकास यादव, आर. विवेक राय, आर. संजीव जांगड़े, आर. इमरान अली, आर. मणीशंकर मिश्रा की अहम भूमिका रही।

गिरफ्तार आरोपी - 01. सुभाष निषाद उर्फ मोगली पिता संतोष निषाद उम्र 30 वर्ष निवासी अटल आवास ब्लॉक सी/46, अशोक नगर सरकण्डा। 02. बाबू अली उर्फ बाबू ईरानी उर्फ अशरफ अली पिता कैप्टन अली उम्र 27 वर्ष निवासी ईरानी मोहल्ला चांटीडीह थाना सरकण्डा, जिला बिलासपुर। 03. शिवराम यादव उर्फ बंटी यादव पिता संतोष यादव उम्र 32 वर्ष निवासी भूकम्प अटल आवास थाना सरकण्डा, जिला बिलासपुर।